

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैचारिक दमन

शशिवल्लभ शर्मा

सहायक प्राध्यापक,

हिन्दी विभाग

अंबाह स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

अंबाह, मुरैना (म.प्र.)

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पूर्ण वाक्य है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है व्यक्त करना, प्रकट करना, स्पष्ट करना। मानव के भावों और विचारों का वह स्पष्टीकरण जो उसकी मानस भूमि से उद्भिज्ज है उसे लेखन या मौखिक रूप से व्यक्त कर देना अभिव्यक्ति है। दूसरा शब्द है स्वतंत्रता। इस शब्द का अभिधार्थ होगा स्वयं का तंत्र, स्वयं की व्यवस्थाएँ, किंतु यह अर्थ विषय के प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता। स्वतंत्रता का अभीष्ट अर्थ है बिना बाहरी दबाव के स्वयं सब कुछ करने की शक्ति या अधिकार। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी का अंकुश न होना, लेकिन निरंकुश होना भी स्वतंत्रता की परिभाषा का अतिक्रमण है। अब हम ये समझे कि दोनों शब्दों से बने इस पूर्ण वाक्य का अर्थ क्या होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी विचार, परिस्थिति या घटना से जब प्रभावित होता है तब उसके मन में भावों का उठना और उन्हें प्रकट करने की स्वभाविक प्रक्रिया आरंभ होती है। (होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रायड के अनुसार वैचारिक दमन संघर्ष का कारण बनता है।) व्यक्ति पक्ष या विपक्ष में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यही प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या अन्य रूप में बिना किसी रोक-टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता (**Freedom of expression**) कहलाती है। इसकी कुछ न कुछ सीमा अवश्य होती है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है।

यहाँ यह बताना भी सार्थक होगा कि राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्थाओं, नीतियों व सरकार के खिलाफ अपना मत प्रकट करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिधि में आता है लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध या जो राष्ट्र विरोधी शक्तियों का समर्थन करती हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कदापि नहीं हो सकती। जेएनयू देहली में कुछ छात्रों और उनके साथियों द्वारा राष्ट्र विरोधी नारे लगाना और उनका समर्थन करना संवैधानिक अवमानना है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आज वैचारिकता के अर्थ बदल गए हैं। अब जब कोई व्यक्ति किसी संस्था, समुदाय या संगठन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पक्ष में व्यक्त करता है तब इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन यही प्रतिक्रिया जब किसी सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, समुदाय या संगठन के वैचारिक पक्ष में नहीं हाती है या उसका खण्डन करती है तब इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम न देकर साजिस, पूर्वाग्रह, षडयंत्र और राष्ट्रद्रोह का नाम दिया जाता है।

भारत के संदर्भ में ही बात करें तो ज्ञात होता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत जैसे देश में न कभी थी, न है और भविष्य में होगी, यह कहा नहीं जा सकता। भारत में राजतंत्र रहा। यहाँ किसी को राजा और उसकी नीतियों के विरुद्ध बोलने का अधिकार कभी नहीं रहा। पन्द्रहवीं शताब्दी में निर्गुण काव्य धारा का एक कवि हुआ,

नाम था कबीर। कबीर ने तात्कालीन सामाजिक विसंगतियों राजनैतिक षडयंत्रों के खिलाफ कविता को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। परिणाम, बन्दे को शासकों के जुल्म और यातनाएँ सहनी पड़ी। मीराबाई जिसने अपने प्रेम को अभिव्यक्ति दी उसे इस सहिष्णु देश में जहर का प्याला अधरों से लगाना पड़ा। मुक्तिबोध ने अंग्रजी सरकार के खिलाफ लिखा। साहित्य को अग्नि में स्वाहा कर दिया। न जाने कितने स्वतंत्रता सैनानियों को मौत दे दी गई। ये है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अति संक्षिप्त इतिहास। अब बात आती है स्वतंत्र भारत में अभिव्यक्ति के अधिकार की। भारत लोकतांत्रिक देश है जो वैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है लेकिन सत्ता पक्ष के विपक्ष में बोलने की आजादी का हनन भी करता है। आज किसी नागरिक को बोलने की आजादी तो है लेकिन वो आवाज सरकार या सत्तापरस्त लोगों के क्षति का कारण बनती है तो इस बात की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं कि वो इंसान चौबीस घण्टे जीवित रहेगा कि नहीं। देश में कार्टून बनता है तो जेल। नारे वाजी होती है तो मुकदमा। मीडिया सरकार का पर्दा उठाती है तो लाइसेंस रद्द। यहाँ एक कर्मचारी अपनी पीड़ा और विभाग की व्यवस्थाओं पर बोलने की सामर्थ्य इसलिए नहीं जुटा पाता कि उसे नौकरी से निकालने का भय सताता है। मौलिक अधिकार देश के संविधान की शोभा है लेकिन यहाँ मजदूरों और किसानों को मुआवजा की वजाय पुलिस के डण्डे खाने पड़ते हैं। एक प्रश्न उठता है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों पर अभिव्यक्ति की आजादी क्यों नहीं हैं ? सरकारी कर्मचारियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं हैं? एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के दावे किए जाते हैं तो दूसरी ओर होता है वैचारिक दमन।

अंततः भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है लेकिन वैचारिक दमन में दम तोड़ देती है।